प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023**
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......69/2023...... दिनांक......25/3/2023......

2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम .... धाराये :–..
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............455............समय......6:30 PM.......
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **24.03.2023** समय **10.10 ए0एम0**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **20.03.2023** समय **10.24 ए0एम0**

4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा पष्चिम करीबन 80 किलोमीटर**
   (ब) पता :– **आरोपी श्री डूंगरसिंह की रहवासीय मकान के गेट पर**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता
   (अ) नाम :– **श्री भोमाराम**
   (ब) पिता का नाम :– **श्री चेनाराम**
   (स) जन्मतिथि/वर्ष :– **उम्र 26 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी..............................
   (र) व्यवसाय :– **खेती**
   (ल) पता :– निवासी रामदेव मंदिर चाडार मदरुप **तहसील रामसर जिला बाड़मेर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष पैशा नौकरी निवासी चाडार बांकलसर वी/पो चाडार मदरूप तहसील रामसर जिला बाड़मेर हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदा), ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799408077 एवं 9610875646

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 5,000 रुपये**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो– बाडमेंर

विषय – रिषवत लेते रंगे हाथो पकडवाने के बाबत।

उपरोक्त विष्यान्तर्गत सुझ प्रार्थी भोमाराम पुत्र श्री चेनाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर चाडार मदरुप का इस प्रकार निवेदन है की मेरे नाम से नरेगा योजना के तहत एक टाकां सविकृत हो रखा है जिसका निर्माण लगभग पुरा हो चुका है मगर नरेगा योजना के तहत मेरे टांके पर मस्टरौलो में मजदुरो का नाम लिखने व उनकी हाजरी चढ़ाने की एवज मे हमारी ग्राम पचांयत का सहायक ग्रामसेवक श्री डुगरसिह मेरे से रिषवत के रुप मे 11 हजार रुपये माग रहा है मेरे टाके पर लगभग 55 मजदुरो का नाम पुरा हो चुका है इन मजदुरो नाम लिखने व पेमेट चढाने के रुपये माग रहा है लेकीन मे मेरे जायज काम के बदले श्री डुगरसिह सहायक ग्रामसेवक ग्राम पचायत चाडार मदरुप को रिश्वत के 11 हजार रुपये नही देना चाहता हु रिश्वत लेते पकंड़वाना चाहता हुॅ मेरे व डुगरसिह सहायक ग्राम सेवक के बिच न तो कोई लेन–देन बैकाया है न ही कोई हमारे बिच आपसी रंजिश है। कानुनी कार्यवाही करावें।
दिनांक 21/3/2023

प्रार्थी
भोमाराम पुत्र श्री चेनाराम – 9166149193

एसडी/– रामनिवास
24.03.23

एसडी/– पदमाराम
24/03/2023

एसडी/– मोटाराम
24/03/2023

कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.03.2023 वक्त 10.24 ए0एम0

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9649911773 पर एक व्यक्ति ने अपने मोबाईल नम्बर 8278683850 से समय 10.24 ए0एम0 पर कॉल कर स्वयं का नाम भोमाराम निवासी रामदेव मंदिर ग्राम चाडार मदरुप जिला बाड़मेर होना बताया एवं बताया कि मेरे स्वयं के नाम से एक नरेगा का टांका स्वीकृत हो रखा है, किन्तु मेरे टांके पर मस्टरोल में मजदुरो का नाम लिखने व उनकी हाजरी चढ़ाने की एवज में हमारी ग्राम पंचायत का सहायक ग्रामसेवक श्री डुगरसिंह मेरे से 11 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। मै मेरे जायज कार्य की एवज में श्री डुगरसिंह को रिश्वत न देकर रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, जिस पर परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर उपस्थित होने का कहने पर उसने बताया कि मैं मेरे आवश्यक कार्य होने से वहाँ उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अवगत करवाया कि मेरे कार्यालय का कार्मिक श्री मिश्रीमल कानि0 आपके पास पहुच आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लेगा, आप उसे आपका जायज कार्य करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले सहायक ग्रामसेवक के विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सहायक ग्रामसेवक के पास जाकर उसके रिश्वती राशि मांग बाबत वार्ता कर उक्त वार्ता को श्री मिश्रीमल कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत करवाए एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते, जिस पर परिवादी ने अवगत करवाया कि आज श्री डुगरसिंह अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने कार्मिक को कल दिनांक 21.03.2023 को मेरे पास अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजना, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत दी। उपरोक्त वार्ता के पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुनः कॉल कर अवगत करवाया कि आप अपने कार्मिक को गड़रारोड़ वाली सड़क से न आकर वाया चौहटन भेजना क्योकि गडरारोड़ पर सड़क का कार्य चल रहा है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि श्री मिश्रीमल कानि0 आपसे कल दिनांक 21.03.2023 को आपके पास सम्पर्क कर लेगा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मिश्रीमल कानि0 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री भोमाराम के

मोबाईल नम्बर सुपूर्द कर कल दिनांक 21.03.2023 को रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने बाबत हिदायत दी।

तत्पश्चात दिनांक 21.03.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मिश्रीमल कानि0 को कार्यालय में तलब कर परिवादी श्री भोमाराम के मोबाईल नम्बर पुनः सुपूर्द कर उससे सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर अलमारी से निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु चाडार मदरुप जाने की हिदायत दी एवं श्री मिश्रीमल कानि0 को बताया कि आप परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर उनसे बंद लिफाफे में शिकायत प्राप्त कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की समझाईश कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर अग्रिम हालात से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाट्सअप नम्बर पर श्री मिश्रीमल कानि0 ने वाट्सअप वार्ता कर अवगत करवाया कि मैने रास्ते में परिवादी के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर पहुच स्थान के सम्बंध में वार्ता कर चाडार मदरुप पहुच परिवादी से प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्राप्त किया। परिवादी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी उपस्थित था, जिसका नाम परिवादी ने श्री हेमाराम होना एवं स्वयं का रिश्तेदार होना बताया एवं परिवादी एवं श्री डुगरसिंह सहायक ग्रामसेवक ग्राम पंचायत चाडार मदरुप के मध्य परिवादी के पैण्डिंग कार्य के सम्बंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन बाबत परिवादी ने आरोपी को वार्ता हेतु एक मुख्य सड़क पर बुलाया, जिस पर एक व्यक्ति कुछ समय बाद वहॉ उपस्थित आया, जिससे पूर्व मेरे द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर को परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईश कर चालू कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को सुपूर्द किया एवं मन् कानि0 वही अपनी उपस्थित छुपाते हुए मुकीम रहा। परिवादी ने कुछ दूर सड़क पर आगे जाकर एक व्यक्ति से वार्ता की, उक्त दोनो व्यक्तियों को मैने वार्ता करते हुए एवं परिवादी द्वारा रुपये देते व उक्त रुपयो को उक्त व्यक्ति द्वारा गिनते हुए देखा। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति वहॉ से वार्ता के बाद चला गया एवं परिवादी ने उक्त व्यक्ति के जाने के बाद ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को सुपूर्द किया, जिसे मैने स्वीच ऑफ कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि उक्त व्यक्ति ही श्री डुगरसिंह सहायक ग्रामसेवक है, जिसने मेरे नरेगा टांका में मस्टरोलो में मजूदरो का नाम लिखने व हाजरी चढ़ाने की एवज में 11 हजार रुपये की मांग कर पॉच हजार रुपये मेरे से ले लिये, तब आरोपी ने कहा कि पॉच से नहीं चलेगा, पॉच हजार देने पडेंगे, जिस पर मैने कहा की आज मेरे पास नहीं है मैं परसो दे दुंगा। उक्त विस्तृत वार्ता को मेरे द्वारा टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मिश्रीमल कानि0 को परिवादी से वार्ता करवाने का कहने पर श्री मिश्रीमल ने स्वयं के मोबाईल से लगातार वार्ता करवाते हुए परिवादी ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप होने के तथ्य से अवगत करवाया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो चौकी पर अग्रिम कार्यवाही मे उपस्थित होने बाबत पाबंध किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर गणगौर का कार्यक्रम है, इसलिए मैं दिनांक 24.03.2023 को आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर परिवादी को दिनांक 24.03.2023 को प्रातः 7.30 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध किया एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई एवं श्री मिश्रीमल कानि0 को अविलम्ब ब्यूरो चौकी उपस्थित होने बाबत पाबंध किया। ताबाद श्री मिश्रीमल कानि0 चौकी पर उपस्थित हुआ एवं एक बंद लिफाफा एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। बंद लिफाफे को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर श्री मिश्रीमल कानि0 ने पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के वक्त जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाये तथ्यो को पुनः पुष्टि की, जिस पर श्री मिश्रीमल कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुना तो पूर्व में श्री मिश्रीमल कानि0 एवं परिवादी द्वारा अवगत करवाये तथ्यो की पुष्ठि हुई एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी द्वारा 11 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर 05 हजार रुपये रिश्वत मौके पर ही प्राप्त करने एवं शेष रही राशि में से 05 हजार रुपये बाद में लेना तय किया। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वीच ऑफ कर स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा।

परिवादी से हुई वार्ता अनुसार दिनांक 24.03.2023 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही को देखते हुए स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकार्य से मुख्यालय से बाहर होने से श्री ठाकराराम कानि0 से जरिये मोबाईल वार्ता कर सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर से दो सरकारी गवाह दिनांक 24.03.23 को प्रातः 7.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाने बाबत निर्देशित किया, जिस पर श्री ठाकराराम कानि0 ने जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर से दो सरकारी गवाह पाबंध करवाकर उन्हें दिनांक 24.03.2023 को समय 7.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाकर उपस्थित आया हूँ। मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने ब्यूरो जाब्ता को भी दिनांक 24.03.23 को प्रातः7.00 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी में उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाया।

दिनांक 24.03.2023 को समय 7.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी भोमाराम पुत्र श्री चेनाराम जाति जाट निवासी रामदेव मंदिर चाडार मदरुप जिला बाड़मेर एक बोलेरो केम्पर गाड़ी के उपस्थित हुआ एवं अवगत करवाया कि आरोपी श्री डुगरसिंह सहायक ग्रामसेवक द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 5000रुपये साथ लेकर आया हूँ। ताबाद पूर्व पाबंध सुदा श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोटाराम शर्मा कनिष्ठ सहायक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए। पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री भोमाराम के समक्ष दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनसे परिचय पूछने पर उन्होने अपना परिचय श्री पदमाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी जाटो का बेरा सारला तहसील सेड़वा हाल कनिष्ठ सहायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ शिव जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 8005934326 एवं श्री मोटाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण उम्र 26 वर्ष निवासी एड छोटू (अर्जुन की ढाणी) पुलिस थाना आर0जी0टी0 नगर जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ प्रथम बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7023525925 होना बताया, जिस पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री भोमाराम को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो बंद लिफाफे में था एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उक्त बंद लिफाफे को उपस्थितान के समक्ष खोलकर उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्न को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछे, जिस पर परिवादी ने पूर्व में अवगत करवाये तथ्यो की ताईद की, परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मेरे नाम से नरेगा योजना के तहत एक टांका स्वीकृत हो रखा है जिसका निर्माण लगभग पुरा हो चुका है, मगर नरेगा योजना के तहत मेरे टांके पर मस्टरौलो में मजदुरो का नाम लिखने व उनकी हाजरी चढ़ाने की एवज मे हमारी ग्राम पंचायत का सहायक ग्रामसेवक श्री डुगरसिह मेरे से रिश्वत के रुप मे 11 हजार रुपये मांग रहा है, मेरे टांके पर लगभग 55 मजदुरो का नाम पुरा हो चुका है, इन मजदुरो नाम लिखने व पेमेंट चढाने के रुपये माग रहा है, लेकिन मैं मेरे जायज काम के बदले श्री डूंगरसिह सहायक ग्रामसेवक ग्राम पचायत चाडार मदरुप को रिश्वत के 11 हजार रुपये नही देना चाहता हूँ रिश्वत लेते पकंड़वाना चाहता हूँ। मेरे व डूंगरसिह सहायक ग्राम सेवक के बीच न तो कोई लेन–देन बैकाया है न ही कोई हमारे बिच आपसी रंजिश है। काननी कार्यवाही करावें" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी।

तत्पश्चात उपरोक्त दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री भोमाराम को आरोपी श्री डूगरसिह, सहायक ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चाडार मदरूप पंचायत समिति रामसर जिला बाडमेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री भोमाराम ने पॉच सौ– पांच सौ रुपये के दस नोट कुल 5000 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री हनीफ हैड.कानि0 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से उक्त 5000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री भोमाराम की जामा तलाशी गवाह श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री भोमाराम के पहनी पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भोमाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री डूगरसिह, सहायक ग्राम सेवक के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री भोमाराम को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. के हाथों की अंगुलियों एवं

अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल क रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहर गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली-भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री मोहम्मद हनीफ से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. व गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया, जिसकी फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढकर सुनाई गई। सुन-समझ सही होना मान कर सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात दिनांक 24.03.2023 को समय 8.40 ए0एम0 पर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक, श्री मिश्रीमल कानि0 एवं श्री ठाकराराम कानि0 के निजी कार से एवं श्री बांकाराम कानि0, श्री अनूपसिंह कानि0, श्री रघुवीरसिंह कानि0, श्री सहेदवसिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोटाराम कानिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाह सरकारी बोलेरो वाहन से एवं श्री लालाराम कानि0 एवं परिवादी श्री भोमाराम उसकी बोलेरो केम्पर वाहन से चाडार मदरुप फ़ांटा की तरफ रवाना हुए। सरकारी बोलेरो वाहन में ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर साथ लिया। उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के वाहनो से चाडार फांटा के पास पहुचे। परिवादी ने जरिये मोबाईल आरोपी श्री डूंगरसिंह की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत कॉल किया तो उसने स्वयं के घर पर उपस्थित होना बताया, जिस पर रिश्वती राशि लेन-देन आरोपी की रहवासीय ढाणीं में करने का निर्णय लिया जाकर श्री लालाराम कानि0 को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर परिवादी को आवश्यक हिदायत के उसकी बोलेरो केम्पर गाड़ी से रवाना किया एवं हिदायत दी कि आरोपी की ढाणीं के पास पहुच, डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर ऑन कर परिवादी को रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप को रिकार्ड कर बाद कार्यवाही गोपनीय ईशारा करने की हिदायत देकर रवाना आरोपी की रहवासीय ढाणीं की तरफ किया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप दल के परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे रवाना हुआ एवं शेष ट्रेप दल को भी हमारे पीछे-पीछे आने की हिदायत हुई। आरोपी की रहवासीय ढाणीं से कुछ दूर पहुच परिवादी के बोलेरो केम्पर वाहन से कुछ दूरी पर रुक कर गोपनीयता बरतते हुए मुकीम हुआ। उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 10.10 ए0एम पर श्री लालाराम कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास वाहन में बैठे श्री मिश्रीमल कानि0 को कॉल कर बताया कि परिवादी ने ढाणीं के गेट के सामने खड़ी बोलरो केम्पर में बैठकर डिजिटल टेप रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया, जिसको मैने स्वीच ऑफ कर मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने कहा कि रिश्वत राशि 5000रुपये श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक ने मेरे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी एवं कहा कि मैं जोधपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, जो अपने पीछे-पीछे ही स्वीफ्ट कार से रवाना हो रहा है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपी की ढाणीं से करीब 100 मीटर दूर कच्चे रास्ते पर पूर्व से रिश्वत लेन-देन पश्चात गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे मुकीम आरोपी की ढाणीं की तरफ रवाना होते हुए ट्रेप दल के अन्य सदस्य जो सरकारी बोलेरो वाहन में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाहन से करीब 50मीटर पीछे खडे थे, उनको हमारे पीछे-पीछे तुरन्त पहुचने का जरिये मोबाईल निर्देशित करते हुए रवाना हुआ। ढाणीं से करीब 50 मीटर आगे कच्चे रास्ते की तरफ हमारे सामने एक बोलेरो केम्पर एवं पीछे-पीछे एक स्वीफ्ट कार आती हुई दिखाई दी। नजदीक जाने पर बोलेरो केम्पर रुकी एवं बोलेरो केम्पर में सवार श्री लालाराम कानि0 ने कहा कि पीछे वाली गाड़ी में रिश्वत राशि लेकर ग्राम रोजगार सहायक बैठा है, जिस पर मैं एवं हमरा ट्रेप दल उसके पास पहुचे, तो श्री मिश्रीमल कानि0 ने बताया श्री डूंगरसिंह ड्राईवर की साईड में बैठा है, यही है। इसको मैं जानता हूँ, क्योकि रिश्वती राशि

मांग सत्यापन के दौरान मैने इसको देखा था, जिस पर उक्त कार में आगे की सीट पर ड्राईवर व साईड में बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाह का परिच देकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडा मदरुप होना बताया, जिस पर परिवादी श्री भोमाराम एवं ट्रेप दल के उक्त वाहन के पास पहुचे। म अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रुबरु गवाह श्री डूंगरसिंह को अपना व हमराहियान का परिचय देक उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 47 व पैशा नौकरी निवासी चाडार बांकलसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर हाल ग्राम रोजगार सहायक, ग्रा पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799408077 ए 9610875646 होना बताया, जिस पर परिवादी श्री भोमाराम की तरफ ईशारा कर अभी उनसे किर प्रकार की राशि प्राप्त करने का पूछा तो उसने कहा कि हॉ मैने अभी-अभी श्री भोमाराम से पूर्व उधार दिये हुए 5000रुपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रर है, जो अभी मेरी पेन्ट में ही है। उक्त स्थान मुख्य सड़क के पास होने एवं आस-पास ढाणियों पडौसियो के रहवास से भीड़-भाड़ होने की सम्भावना को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही पुलिस थान रामसर में जाकर किये जाने का निर्णय जाकर आरोपी श्री डूंगरसिंह को सुरक्षा की दृष्टि से आरोप का बायां हाथ कलाई के उपर से श्री लालाराम कानि0 से एवं दाहिना हाथ कलाई की उपर से स्वतं गवाह श्री पदमाराम से पकड़वाकर परिवादी की बोलेरो केम्पर में पीछली सीट पर बिठाकर श्री मिश्रीमल कानि0 एवं ट्रेप दल के साथ पुलिस थाना रामसर के लिए रवाना किया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं श्री ठाकराराम कानि0 के निजी कार से पुलिस थाना रामसर के लिए रवाना हु एवं अन्य ट्रेप दल सदस्यो को बोलेरो वाहन से पुलिस थाना रामसर पहुचने की हिदायत हुई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दस्तयाब सुदा आरोपी श्री डूंगराराम ग्राम रोजगार सहायक एवं हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से पुलिस थाना रामसर पहुच अग्रिम कार्यवाही हेतु थाने मे प्रवेश हुए, जहाँ प श्री दाउदखां उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना रामसर उपस्थित मिले, जिनसे ट्रे कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना परिसर में करने की सहमति प्राप्त कर प्रारम्भ की। परिवाद श्री भोमाराम, दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु आरोपी श्री डूंगरसिंह को परिवादी श्री भोमाराम क पहचाने एवं उससे रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री डूंगरसिंह ने बताया वि हॉ मैं श्री भोमाराम को पहचानता हूॅ, यह ग्राम पंचायत चाडार मदरुप में उप सरपंच है। मैने आज श्र भोमाराम से 5000रुपये राशि ली है, जो रिश्वत की नहीं होकर उधार की राशि ली है, मुझे आवश्यक कार्य से जोधपुर जाना था, इसलिए मैने इनसे उधार के रुपये लिये है, मैने कोई रिश्वत की राशि नहं ली है, जिस पर पास ही खड़े परिवादी ने रुबरु गवाहान आरोपी के उक्त कथन का स्वतः खण्डन करते हुए बताया कि श्री डूंगरसिंह झूठ बोल रहे है, इन्हौने मेरे स्वीकृत सुदा नरेगा टांके पर मस्टरौल में मजदुरो का नाम लिखने व उनकी हाजरी चढ़ाने की एवज में 55 मजदूरो के प्रति मजदूर 200रुपर के हिसाब से 11 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 21.03.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान 5000 हजार रुपये लिये थे एवं बाकी की राशि में से 5000रुपये एक-दो दिन बाद लेना तय किया था, जिस पर आज मैने इनको चाडार मदरुप फांटा के पास पहुच श्री लालाराम कानि0 के समक्ष इनको कॉल किया तो इन्हौने स्वयं के घर आने का कहा, जिस पर इन्हौने मेरे से अपने घर के बाहर शेष रिश्वत राशि 5000रुपये मांग कर गिनकर अपने पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी एवं निजी कार में बैठकर जाने लगे, जिस पर मैने श्री लालाराम कानि0 को अवगत करवाया, जिनके द्वारा आपको अवगत करवाने पर आपने श्री डूंगरसिंह को उक्त कार मे रिश्वत राशि सहित पकड़ा था, जिस पर रुबरु गवाहन श्री डूंगरसिंह से रिश्वत राशि के सम्बंध मे पूछने पर निरुत्तर रहे। तत्पश्चात आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में पुलिस थाना रामसर से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा-आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा- आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक द्वारा रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की

आगे की दाहिनी जेब में रखना बताने पर स्वतंत्र गवाह श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक से आरोपी की तलाशी लिरवाई जाने पर उनके पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में मिली, जिसमें पॉच-पॉच सौ रुपये के 10 नोट होना पाये गये, जिन्हें गिनवाने पर कुल 5000रुपये नकद होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि का मिलान अन्य गवाह श्री मोटाराम कनिष्ठ सहायक को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी दी जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाने पर हुबहु होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो आरोपी के पहने हुए शर्ट की जेब में श्री डूंगरसिंह के स्वयं के नाम का आधार कार्ड, स्वयं के चार पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो, केनरा बैंक का दिनांक 21.11.2020 का खाता संख्या 3382101001855 का केंसिल चैक, वाहन संख्या आरजे 04 एसक्यू 4248 की रजिस्ट्रेशन मूल कार्ड एवं उनकी जेब में 200रुपये के 09 नोट एवं 100रुपये 05 नोट कुल 2300रुपये होना पाये गये एवं एक मोबाईल निले कलर का रेडमी कम्पनी का मोबाईल होना पाया गया, मोबाईल के सम्बंध में आरोपी से पूछने पर आरोपी ने उक्त मोबाईल में एयरटेल सीम नम्बर 9799408077 एवं दूसरी सीम जीयो नम्बर 9610875646 होना बताया एवं उक्त राशि स्वयं के निजी खर्च की होना बताया, जिस पर उक्त मोबाईल, राशि एवं दस्तावेजात को आरोपी के परिजनो को सुपूर्द की जायगी। तत्पश्चात आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि प्राप्त होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहने हेतु पुलिस थाना रामसर में ही एक लूंगी की व्यवस्था कर, पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया जाकर लूंगी पहनने हेतु दी गई एवं उक्त पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लेना प्रारम्भ किया। पुलिस थाना रामसर से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमें आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उल्टवाकर उक्त गिलास में निचोड़ा गया, जिससे धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया एवं उक्त पेन्ट को सुखाकर उक्त दाहिनी जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक को परिवादी के पैण्डिंग कार्य नरेगा में स्वीकृत टांके के मस्टरोलो के सम्बंध में पूछने पर बताया कि मैं उक्त मस्टरोल मेरे घर पर लेकर गया था, क्योकि ग्राम पंचायत में कार्य की अधिकता होती है तो मैं कभी-कभी कुछ कार्य घर से भी करता हूँ, इसलिए उक्त मस्टरोल मेरे घर पर ही है। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक को रुबरु गवाहान एवं परिवादी के रिश्वती राशि प्राप्त करने बाबत पुनः पूछा गया तो उसने बताया कि मैने इनसे उधार के 5000रुपये लिये है, जो मैने इनसे कल मांगे थे, इन्हौने कहा था कि मैं आज दे दूंगा, जो इन्हौने मेरे को आज दिये है, मैने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, जिस पर आरोपी को उक्त उधार राशि के सम्बंध में कोई दस्तावेज या किसी व्यक्ति के सामने मांगने के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है न ही मैने किसी व्यक्ति के सामने रुपये मांगे थे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से परिवादी से इससे पूर्व कोई राशि उधार लेने या देने के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि इसके अतिरिक्त मैने इनसे कोई राशि न तो दी है न ही कोई ली है। डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर उसमें रिश्वती राशि लेन-देन से सम्बंधित वार्ता होना पाई गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब किये जाने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब करने एवं परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित दस्तावेजात जब्त करने हेतु आरोपी श्री डूंगरसिंह की रहवासीय ढाणीं के लिए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, श्री मिश्रीमल कानि0, श्री बांकाराम कानि0, श्री ठाकराराम कानि0, परिवादी श्री भोमाराम, दस्तयाब सुदा श्री डूंगरसिंह के जरिये सरकारी वाहन व सरकारी लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के परिवादी की बोलेरो केम्पर के रवाना हुए। मालखाना आईटम की सुरक्षा हेतु श्री लालाराम कानि0 को आवश्यक हिदायत हुई। ताबाद परिवादी श्री भोमाराम की निशादेही पर ट्रेप कार्यवाही विरुद्व श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर में नक्शा मौका मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही विरुद्व श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर में परिवादी श्री भोमाराम के नरेगा में स्वीकृत टांके के मस्टरोल की फर्द जब्ती मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थापित होने एवं आरोपी के अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होने एवं रहवासीय ढाणीं में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु, राशि होना नहीं पाए

जाने एवं सामान्य जीवन–यापन करना होने से रहवासीय मकान की खाना तलाशी फर्द मूर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया जाकर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना रामसर के लिए रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना रामसर उपस्थित आया एवं मालखाना आईट्म की निगरानी में श्री लालाराम कानि0 को मुस्तैद पाया एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री भोमाराम एवं आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 21.03.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री भोमाराम द्वारा की गई एवं ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री भोमाराम एवं आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 24.03.2023 को रिश्वती राशि लेन–देन की वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त रिकार्ड वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री बांकाराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री भोमाराम द्वारा की गई।

तत्पश्चात प्रकरण हाजा में आरोपी श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष पैशा नौकरी निवासी चाडार बांकलसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर हाल ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9799408077 एवं 9610875646 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द दिनांक 24.03.2023 को समय 5.00 पी0एम0 पर गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके मित्र श्री थानसिंह को दी गइ। जामा तलाशी में आरोपी के पहने हुए शर्ट की जेब में श्री डूंगरसिंह के स्वयं के नाम का आधार कार्ड, स्वयं के चार पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो, केनरा बैंक का दिनांक 21.11.2020 का खाता संख्या 3382101001855 का केन्सिल चैक, वाहन संख्या आरजे 04 एसक्यू 4248 की रजिस्ट्रेशन मूल कार्ड एवं उनकी जेब में पाये गये कुल 2300रुपये एवं पाये गये मोबाईल को स्वीच ऑफ कर आरोपी श्री डूंगरसिंह के कहे अनुसार उनके मित्र श्री थानसिंह को सुपूर्द किये गये। ट्रेप कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पूर्ण होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, दोनो हाथो एवं पेन्ट के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 5,000रुपये, पेन्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप से सम्बंधित एक–एक मूल सी0डी0 सिल चिट युक्त एवं एक–एक खुली सी0डी0 व आरोपी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित मस्टरोलो की फर्द जब्ती अनुसार पत्रावली इत्यादि एवं ब्यूरो दल सदस्यो के जरिये सरकारी वाहन एवं निजी कार के रवाना हुआ। परिवादी श्री भोमाराम की उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब आवश्यकता नहीं होने से पुलिस थाना रामसर से ही रुखस्त किया गया। उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक, ब्यूरो दल सदस्यो के जरिये सरकारी बोलरो वाहन व निजी कार आरोपी के दोनो हाथो एवं पेन्ट के धोवन के प्रादर्श मार्क आरएच–01, आरएच–02, एलएच–01, एलएच–02, एवं पेन्ट के धोवन के प्रादर्श पी–01 एवं पी–02, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 5,000रुपये, पेन्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप से सम्बंधित एक–एक मूल सी0डी0 एवं एक–एक खुली सी0डी0 एवं आरोपी के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ इत्यादि के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना आईट्म श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षित जमा हवालात करवाने हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिए तेहरीर मूर्तिब कर ब्यूरो दल सदस्य श्री रघुवीरसिंह कानि0 एवं श्री बाकाराम कानि0

के मय सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना किया गया, जो उपरोक्त फिकरा के श्री रघुवीरसिंह कानि0 एवं श्री बाकाराम कानि0 आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर जरिये सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित आए। ट्रेप कार्यवाही में अब दोनो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता नहीं होने से श्री पदमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोटाराम कनिष्ठ सहायक को रुखस्त दी गई। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक को माननीय न्यायालय में पेश किया जाना है, जिस बाबत रिमाण्ड़ फार्म तैयार किया गया।

दिनांक 25.03.2023 को आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर लाने हेतु श्री रघुवीरसिंह कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 को मय सरकारी वाहन के रवाना किया, जो उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा श्री लालाराम कानि0, श्री रघुवीरसिंह कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 एवं मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक के सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री भोमाराम के नरेगा योजना में स्वीकृत टांके पर मस्टरोल में 55 मजदूरो के नाम लिखने एवं उनकी हाजरी चढ़ाने की एवज में आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर द्वारा 11 हजार रुपये रिश्वत की मांग करना, रिश्वती राशि मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान परिवादी से 5000रुपये रिश्वत प्राप्त करना एवं शेष रही रिश्वत राशि में से 5000रुपये रिश्वत राशि की और मांग करना पाया गया, जिस पर रुबरु गवाहान दिनांक 24.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक ने अपने रहवासीय मकान के गेट पर परिवादी से 5000रुपये रिश्वत राशि लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रख ली, जिस पर परिवादी द्वारा गोपनीय ईशारा करने पर आरोपी को दस्तयाब किया जाकर अग्रिम कार्यवाही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना रामसर में की गई। आरोपी के दोनो हाथो के धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब के धोवन का रंग गुलाबी आया एवं आरोपी के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित मस्टरोलो की मूल प्रति आरोपी की रहवासीय ढाणीं से कब्जा ब्यूरो ली गई एवं आरोपी श्री डूंगरसिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रामसर जिला बाड़मेर को अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष पैशा नौकरी निवासी चाडार बांकलसर वी/पो चाडार मदरूप तहसील रामसर जिला बाड़मेर हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदा), ग्राम पंचायत चाडार मदरुप पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री डूंगरसिंह, ग्राम रोजगार सहायक (संविदा), ग्राम पंचायत चाडार मदरूप, पंचायत समिति रामसर, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 69/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-552-55 दिनांकः- 25.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रामसर, जिला बाड़मेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

25.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।